

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुंगेर।

भरण पोषण (किमनल) वाद संख्या 61/2025

श्रीमति राखी देवी एवं अन्य.....आवेदिका।

बनाम

श्री राजू राउत उर्फ राजू कुमार.....विपक्षी।

आदेश

दिनांक 16.04.2026 वाद के पुकार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

वाद का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह विदित होता है कि आवेदिका की ओर से एक आवेदन, जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ता का हस्ताक्षर है आज दाखिल किया गया है। जिसमें निवेदन किया गया है कि आवेदिका प्रस्तुत वाद को वापस लेना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को आवेदिका आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और इस आधार पर वाद वापस लेना चाहती है।

आवेदिका के उक्त आवेदन पर सुना। आवेदिका अपने वाद को वापस लेना चाहती हैं। वाद वापस लेने में मुझे कोई व्यवधान प्रतीत नहीं होता है एवं वाद वापस लेने योग्य है।

ऐसी परिस्थिति में वाद को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय, मुंगेर।

Date of Judgment/order	16-04-2026
Date of Reserving Judgment/order	16-04-2026
Uploading Date	17-04-2026
Uploaded by	Dhananjay Kumar (D.E.O.)